## <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक: 44ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक: 24 / 09 / 10</u> फाईलिंग नं. 233504000052010

सम्मो पति शिवपाल बेले, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम मोरखा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादी</u>

#### वि रू द्व

- उत्तमसिंह पिता असमंजनसिंह रघुवंशी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम मोरखा, तहसील आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)
- सेवाराम पिता गब्धु नागले उम्र 55 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, डब्ल्यूसीएल, पाथाखेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. सुखनन्दन पिता गब्धु नागले, उम्र, 50 वर्ष, निवासी पाथाखेड़ा जिला बैतूल (म.प्र.)
- फुल्लोबाई पित दया पण्डोले,
  उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम हरन्या,
  तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- छोटीबाई पित बस्तुलाल सामरे,
  उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम मोरखा,
  तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- छन्नू पिता छितरया मेहरा,
  उम्र 80 वर्ष, निवासी जीराढाना बोङ्खी के पास,
  तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- घुड़ीबाई पित स्व. गोरख उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- चन्दोबाई पित झनकलाल बिसदे,
  उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम बड़गांव,
  तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- 9. मन्नोबाई पति मिठ्ठु पण्डोले, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

10. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

## <u> -: ( निर्णय ) :-</u>

## (आज दिनांक 13.12.2016 को घोषित)

- 1 वादी द्वारा यह दावा ख.नं. 577/2 रकबा 0.223 हे. एवं ख. नं. 578/1 रकबा 1.406 हे. (अत्रपश्चात विवादित भूमि से संबोधित) स्थित ग्राम मोरखा तहसील आमला, जिला बैतूल के संबंध में अग्रक्रयाधिकार की घोषणा, विकय पत्र दिनांक 10.06.2009 को शून्य घोषित कराने एवं प्रतिवादी क. 01 द्वारा विवादित भूमि में से क्रय की गई भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने एवं प्रतिवादी क. 01 को विवादित भूमि पर हस्तक्षेप किए जाने से निषेधित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रतिवादी क. 01 के द्वारा प्रतिदावा ख.नं. 577 / 2 रकबा 0.223 हे. एवं खसरा नंबर 578 / 1 रकबा 1.406 हे. में से 0.055 हे. (अत्रपश्चात् विवादित भूमि से संबोधित) स्थित ग्राम मोरखा तहसील आमला जिला बैतूल का विकय पत्र दिनांक 10.06.2009 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण किए जाने का अधिकारी होने की घोषणा एवं वादी को क्रय की गई भूमि पर हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 3 प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के नाम संयुक्त रुप से दर्ज है। प्रतिवादी क. 07 एवं 08 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में विकय पत्र दिनांक 10.06.2009 निष्पादित किया गया। यह भी स्वीकृत है कि वादी तथा प्रतिवादी क. 08 एवं 09 बहनें तथा प्रतिवादी क. 07 उनकी माँ है।
- वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 की पैतृक भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है, परंतु वादी तथा प्रतिवादी क. 02 से 09 स्वयं ही मेड़ बंधी करके अलग—अलग कृषि कार्य कर रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी क. 07, 08 एवं 09 के हिस्से की भूमि का विगत कई वर्षों से वादी सम्मोबाई ही जोत रही है। वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के मध्य में यह पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है कि जब भी कोई संयुक्त शामिलाती भूमि का विक्रय करना चाहेगा, तो क्रय करने का पहला अधिकारी सहभूमि स्वामियों का होगा। वादी के पिता स्व. श्री गोरख ने कई वर्ष पूर्व विवादित भूमि में के अपने 1/3 अंश के विक्रय करने का सौदा अपने भाई गढ्यू के

पुत्र सेवाराम से किया था तथा उस सौदे के परिप्रेक्ष्य में 17,000 / — रूपये प्राप्त करके अनुबंध पत्र लिख दिया था, परंतु बाद में उक्त सौदा गोरख एवं सेवाराम की आपसी सहमित से रद्द कर दिया गया था, परंतु वादी के पिता ने जो 17,000 / — रूपये सेवाराम से प्राप्त कर लिए थे, उसमें से 10,000 / — रूपये वादी सम्मो ने तथा 7,000 / — रूपये वादी की माँ प्रतिवादी क. 07 घुड़ीबाई ने दिए थे। चूंकि वादी के अन्य बहनों प्रतिवादी क. 08 एवं 09 के द्वारा कोई भी राशि नहीं दी गई थी। इसलिए वादी तथा प्रतिवादी क. 07, 08 एवं 09 के मध्य एक इकरारनामा लेख किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि जब तक प्रतिवादी क. 08 एवं 09 अपने हिस्से का पैसा नहीं देते है, तब तक वादी सम्मो उनके हिस्से की भूमि पर खेती करेगी तथा प्रतिवादी क. 07, 08 एवं 09 जब भी अपने हिस्से को विक्रय करना चाहेंगे तब क्रय करने का पहला अधिकार सेवाराम एवं सम्मोबाई को होगा।

प्रतिवादी क. 07 एवं 08 द्वारा इकरारनामे को भंग करके दिनांक 16.06.2009 में को विवादित भूमि 577/2 को पूर्ण रकबा तथा 578/1 का 0. 055 हे. रकबा प्रतिवादी क. 01 को विक्रय कर दिया गया। प्रतिवादी क. 07 एवं 08 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि प्रतिवादी क. 01 को विक्रय की गई है। अतः ऐसे विकय से वादी के स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी के द्वारा उपर्युक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही न किए जाने हेतू तहसीलदार आमला में दिनांक 05.08.2010 को आवेदन दिया गया, जिस पर यह निर्देश दिया गया कि विवादित भूमि होने से नामांतरण की कार्यवाही न की जाए। प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादी क. 01 उत्तमसिंह ने क्रय की गई विवादित भूमि पर वादी सम्मो को मारपीट कर बेदखल कर कब्जा कर लिया है। जबिक न्यायालय के द्वारा वादी का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी उत्तम को आदेशित किया गया था कि वह विवादित भूमि पर वादी सम्मो के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें। अतः वादी द्वारा यह दावा अग्रक्रयाधिकार एवं विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 को शून्य घोषित कराये जाने, विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने तथा प्रतिवादी क. 01 को हस्तक्षेप करने से निषेधित किए जाने की सहायता प्राप्त करने हेतू प्रस्तूत किया गया है।

6 प्रतिवादी क. 02, 04, 05, 08, 09 के द्वारा संयुक्त रुप से एवं प्रतिवादी क. 03 एवं 07 के द्वारा संयुक्त रुप से जवाब दावा पेश कर उसमें वाद पत्र का समर्थन किया गया है तथा अतिरिक्त में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क. 01 के द्वारा प्रतिवादी क. 07 एवं 08 से विक्रय पत्र दिनांक 10.06. 2009 धोखा देकर बिना प्रतिफल अदा किए निष्पादित करवा लिया गया है। प्रतिवादी क. 01 के द्वारा जवाब दावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के अभिवचन को इनकार करते हुए यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के पैतृक भूमि नहीं है। विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01

द्वारा क्रय किए जाने के समय मौके पर अलग—अलग मेड़ से विभाजित थी। प्रतिवादी के द्वारा संपूर्ण प्रतिफल देकर विधिवत विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है तथा क्रय दिनांक से ही प्रतिवादी क्र. 01 का क्रय की गई विवादित भूमि पर आधिपत्य है। दिनांक 12.10.2010 को वादी द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ प्रतिवादी क्र. 01 के कब्जे की भूमि में दखल देने का प्रयास किया। प्रतिवादी क्र. 01 सद्भावी केता है। प्रतिवादी क. 07 एवं 08 द्वारा उचित प्रतिफल लेकर विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित किया गया है। अतः वह राजस्व अभिलेखों में क्रय की गई भूमि का नामांतरण कराने का तथा अपने आधिपत्य की भूमि पर वादी को हस्तक्षेप करने से निषेधित किए जाने का अधिकारी है। फलतः यह प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है।

- गया है कि विवादित भूमि पर वादी का जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर वादी का ही आधिपत्य है। विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क. 01 को नामांतरण का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिदावा निरस्त किया जाए।
- 8 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क. 01 से 09 लिखित कथन प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय में नियत दिनांक में उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रतिवादी क. 01 को दिनांक 30. 01.2016 को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की गयी है।
- 9 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व ारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है तथा दिनांक 03.12.2016 को इस न्यायालय के द्वारा अतिरिक्त वाद प्रश्न क. 04 एवं 05 विरचित किये गये हैं और साक्ष्य विवेचना उपरांत सभी वाद प्रश्नों के समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं:—

| क. | वाद प्रश्न  | निष्कर्ष |
|----|---|----------|
| 1. | क्या ग्राम मोरखा तहसील आमला जिला स्थित ख.नं. 577/2 रकबा 0.223 एवं ख.नं. 578/1 रकबा 1.406 हे. भूमि जो प्रति.क. 7, 8, 9 के हिस्से की है, को वादी अग्रक्य करने का अधिकारी है ? |          |

| 2.  | क्या प्रति.क. 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में<br>निष्पादित किया गया विक्रय पत्र दिनांक 10.06.09<br>वादी पर बंधनकारी नहीं हैं ?   |  |
|-----|--|--|
| 3.  | क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त विवादित भूमि<br>पर तत्संबंधी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का<br>अधिकारी है ?   |  |
| 4.  | क्या वादी को प्रतिवादी क. 01 द्वारा विवादित भूमि से<br>अनाधिकृत रूप से बेकब्जा कर दिया गया है ?  |  |
| 5.  | क्या वादी विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त<br>करने की अधिकारी है ?  |  |
| 6.  | क्या दिनांक 04.11.03 को वादी एवं प्रतिवादी क. 7,<br>8, 9 के मध्य निष्पादित इकरारनामा प्रति.क. 7, 8, 9<br>पर बाध्यकारी है ?   |  |
| 7.  | क्या वादी, प्रति.क. 1 की उक्त विवादित भूमि में से<br>ख.नं. 577/2 रकबा 223 आरे एवं ख.नं. 578/1 में<br>से रकबा 50 आरे भूमि जो बिक्री पत्र दिनांक 10.06.<br>09 के अनुसार जिसकी चतुर्सीमा है, में<br>अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहा है ? |  |
| 8.  | क्या प्रति.क. 01 उक्त भूमि पर वादी के विरूद्ध<br>तत्संबंधी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी<br>है?  |  |
| 9.  | क्या प्रति.क. 01 उक्त भूमि का दिनांक 10.06.09 के<br>विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व अभिलेखों में नामांतरण<br>कराने का अधिकारी है ?  |  |
| 10. | सहायता एवं वाद व्यय ?  |  |

# विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 एवं 06 का निराकरण

- 10 उपर्युक्त दोनों वाद प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- गया है कि वादी क्वारा वाद पत्र के पैरा क. 04 व 05 में यह अभिवचन किया गया है कि वादी के पिता गोरख के द्वारा विवादित भूमि के अपने ⅓ भाग का विक्रय करने का करार अपने भाई गब्धू के पुत्र सेवाराम से किया गया था परंतु बाद में वह करार रद्द कर दिया गया। साथ ही उस करार के पालन में गोरख द्वारा लिये गये 17,000 / − रूपये में से वादी सम्मो ने 10,000 / − रूपये प्रतिवादी क. 07 घुड़ीबाई ने 7,000 / − रूपये दिये थे। इसके संबंध में इकरारनामा दिनांक 04.11.2003 को लेख किया गया जिसके अनुसार यदि विवादित भूमि में से अपना हिस्से यदि वादी या प्रतिवादी क. 07, 08, 09 के द्वारा विक्रय किया जाता है तो पहला अधिकार सेवाराम एवं सम्मोबाई का होगा।
- वादी द्वारा अपने वाद पत्र में विवादित संपत्ति के संबंध में अग्रक्याधिकार के अधिकार का अभिवचन किया गया है जिसके संबंध में धारा 22(1) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि केता एवं विकेता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची क. 01 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस हो और उनमें से यदि कोई एक अपने सहखाते की संपत्ति विकय कर रहे हो तब उनमें से विकेता के विरुद्ध अन्य लोगों को यह अग्रक्याधिकार प्राप्त होता है। प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादी क. 07, 08 वर्ग—1 के वारिस हैं किंतु प्रतिवादी क. 01 जिसे संपत्ति विकय की गयी वह संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अग्रक्याधिकार के संबंध में न्याय दृष्टांत Manickam V/s Kanagaraj and ors 2012 (3) ctc 495 उल्लेखनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि "The right of pre-emption is only by way of filing separate suit and that right can be exercised only when a third party purchaser files the suit for partition and saparate possession and if the third party purchaser did not file suit for partition and seprate possession, the other sharer can not exercise the right of pre-emption".
- 13 जहां तक वादी द्वारा इकरारनामा (प्रदर्श प्री—4) के अनुसार विवादित संपत्ति के अग्रक्रयाधिकार का प्रश्न है। उस संबंध में वादी सम्मो, प्रतिवादी साक्षी चंदो व इकरारनामा के गवाह मिठ्ठू की साक्ष्य अवलोकनीय है। वादी सम्मोबाई (वा.सा.—1) ने अपने परीक्षण के पैरा क. 20 में यह बताया है कि उसकी मां घुड़ीबाई व बहन चंदो ने विवादित भूमि का विक्रय किये जाने की

उसे कोई जानकारी नहीं दी थी तथा पैरा क. 18 में यह बताया है कि न ही इस संबंध में उसकी सहमति ली थी। मिठ्ठू (वा.सा.-4) जो कि इकरारनामा का गवाह है उसके कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि इकरारनामा किस संबंध में निष्पादित किया गया था तथा उक्त साक्षी ने सेवाराम व गोरख के मध्य करार (सौदे) की जानकारी होने से भी इनकार किया है। चंदोबाई (प्र.सा.–2) ने परीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि विवातिद जमीन का विक्रय किये जाने से पूर्व उसने सेवाराम व सुखनंदन से पूछ लिया था परंतु उन्होंने मना कर दिया था और कहा कि मैं नहीं लूंगा। उक्त साक्षी ने इसी पैरा में यह बताया है कि उसने अपनी बहन सम्मो से पहले ही इस संबंध में पूछ लिया था। पैरा क. 05 में साक्षी ने अपने समक्ष इकरारनामा लेख किये जानें से इनकार किया है तथा स्वतः में यह बताया है कि उसने सेवाराम व सम्मो से विक्रय के पूर्व पूछा था परंतु उन्होंने मना कर दिया था। साक्षी ने पैरा क. 05 में अपने पिता गोरख द्वारा विवादित जमीन के 1/3 भाग का 17,000 / - रूपये में सौदे किये जाने की बात को सही बताया तथा सौदे रद्द होने की बाद 7,000 / - रूपये अपनी मां घुड़ीबाई द्वारा तथा 10,000 / – रूपये सम्मो द्वारा घर का गल्ला बेचकर सबके हिस्से के पैसे दिया जाना बताया है।

14 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 04.11.2003 (प्रदर्श प्री—4) के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें यह लेख है कि यदि भविष्य में तीनों बहनें खेत बेचेंगी तो भूमि खरीदने का पहला अधिकार सेवाराम वल्द गब्धु को होगा तथा सेवाराम की सहमति के बिना किसी अन्य को जमीन का विकय नहीं किया जायेगा। प्रतिवादी चंदो (प्र.सा.—2) ने अपने परीक्षण में विकय से पूर्व सेवाराम व सम्मो से सहमति ली जाना बताया है। इकरारनामा में मात्र सेवाराम वल्द गब्धू की विकय से पूर्व सहमति ली जाना बताया गया है। सेवाराम के द्वारा प्रतिवादी चंदो व घुड़ीबाई द्वारा किये गये विकय को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। प्रतिवादी चंदो ने अपने समक्ष इकरारनामा लेख किये जाने से इनकार किया है। वादी साक्षी मिठ्ठू (वा.सा.—4) जो कि इकरारनामा का गवाह है उसके द्वारा इकरारनामा किस संबंध में लिखा गया उस संबंध में कोई भी कथन न्यायालय में नहीं किये गये हैं। अतः इकरारनामा (प्रदर्श प्री—4) प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त इकरारनामा के आधार पर वादी सम्मो को विवादित भूमि के संबंध में अग्रकयाधिकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

15 अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वादी विवादित भूमि अग्रक्रय करने की अधकारी है तथा वादी व प्रतिवादी क. 07, 08, 09 पर इकरारनामा दिनांक 04.11.2003 बाध्यकारी है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 एवं 06 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

#### वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि पैतृक है तथा वादी एवं प्रतिवादी क. 2 से 9 के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है परंतु सभी खातेदार मौके पर मेड़बंदी कर अलग—अलग कब्जा कर कृषि कार्य कर रहे हैं। वादी द्वारा विवादित भूमि पैतृक होने का अभिवचन किया गया है तथा वादी का यह भी अभिवचन है कि वादी के पिता गोरख के दो अन्य भाई थे, गब्धू एवं धन्नू तथा वादी अपने पिता की मृत्यु उपरांत उनके हिस्से की 1/3 भूमि पर अपनी मां व अन्य बहनों के साथ काबिज काश्त है तथा संपूर्ण विवादित भूमि सभी के नाम पर दर्ज है।

17 प्रतिवादी क. 01 ने प्रतिदावा पेश कर यह अभिवन किया है कि उसके द्वारा प्रतिवादी क. 07 व 08 से पूर्ण प्रतिफल देकर उनके हिस्से की भूमि क्य की गयी है तथा विक्रय के समय भूमि मौके पर मेड़ द्वारा विभाजित थी।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पांचसाला वर्ष 2008—09 व किश्तबंदी (प्रदर्श प्री—3) के अवलोकन से विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के नाम संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है। वादी द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विवादित भूमि मूल पुरुष छितरया के स्वत्व की रही हो, परंतु प्रतिवादी क. 02 से 09 द्वारा अपने लिखित कथन में विवादित भूमि का पैतृक होना स्वीकार किया गया है। न्यायालय के मत में मात्र स्वीकारोक्ति से ही विवादित भूमि का पैतृक होना नहीं माना जा सकता परंतु प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श प्री—1) किश्तबंदी खतौनी तथा (प्रदर्श प्री—3) खसरा पंचसाला के अवलोकन से विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी कमांक 02 से 09 के संयुक्त स्वत्व की होना उपधारित की जा सकती है।

19 वादी सम्मो (वा.सा.—1) ने पैरा क. 07 में यह बताया है कि गब्धू, गोरख एवं छन्नू की संतानें मौके पर जमीन अलग—अलग कर काश्तकारी करते हैं। प्रतिवादी साक्षी चंदो (प्र.सा.—2) ने अपने परीक्षण में यह बताया कि सभी खातेदारों की बीच बंटवारानामा नहीं बना परंतु आपसी बंटवारा हुआ है।

20 विवादित संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा विवादित भूमि का आपसी विभाजन होने का अभिवचन किया गया है परंतु विधिवत विभाजन का अभिवचन नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर पृथक—पृथक अपने हिस्से पर कृषि कार्य करना उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से माना जा सकता है परंतु विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के नाम दर्ज है। अतः उनके मध्य भूमियों का विभाजन माप व सीमांकन द्वारा नहीं हुआ है। अतः आपसी विभाजन से भले ही उनकी संयुक्त होने की प्रास्थिति परिवर्तित हो गयी हो किंतु विवादित भूमि सहित अन्य भूमियों में उनकी स्थिति साम्यिक अभिधारी की हो गयी है।

वादी के पिता गोरख के दो भाई गब्धू व छन्नू थे। अतः प्रतिकूल साक्ष्य व अभिवचन के अभाव में वादी के पिता गोरख की मृत्यु के समय विवादित संपत्ति पर प्रत्येक भाई का  $\frac{1}{3}$  भाग होगा तथा वादी तथा प्रतिवादी क. 07, 08 व 09 का विवातिद भूमि पर हिस्सा मात्र उनके पिता गोरख के  $\frac{1}{3}$  भाग तक ही सीमित होगा। वादी के पिता गोरख की मृत्यु उपरांत उसकी पुत्री व पत्नी उसके हिस्से की भूमि के समान अंशधारी होंगे अर्थात विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग पर वादी एवं प्रतिवादी क. 07, 08 व 09 का बराबर अंश अर्थात  $\frac{1}{3}$  भाग में से  $\frac{1}{12}-\frac{1}{12}$  प्रत्येक को प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रतिवादी क. 07 व 08 मात्र विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से अपना अंश अर्थात  $\frac{1}{12}-\frac{1}{12}$  कुल  $\frac{1}{6}$  का विकय कर सकती हैं।

प्रतिवादी क. 01 का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि उसके द्व ारा प्रतिवादी क. 07 व 08 के हिस्से की क्य की गयी है परंतु विक्य होने से पूर्व विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना प्रदर्श पी-3 खसरा पांचसाला से प्रकट होता है परंत् ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि विवादित भूमि हिस्से में प्रतिवादी क. 07 व 08 को प्राप्त हुई थी। विवादित भूमि ख.नं. 577/2 रकबा 0.223 हे. ख.नं. 578 / 1 रकबा 1.406 हे. संपूर्ण भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से  $\frac{1}{12} - \frac{1}{12}$  भाग प्रतिवादी क. 07 व 08 के हिस्से आयेगा। बिसार पत्र (प्रदर्श प्री–17) एवं विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-1) केवल प्रतिवादी क. 07 व 08 द्वारा निष्पादित किया गया है जबिक माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन के अभाव में विक्रय दिनांक को प्रतिवादी क. 07 व 08 सहित वादी एवं प्रतिवादी क. 02 से 09 विवादित भूमि के साम्यिक अभिधारी थे। न्याय दृष्टांत लक्ष्मीनारायण विरुद्ध श्रीमती प्रेमबाई एवं अन्य 2002(2) एम.पी.एल.जे. 381 में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने ऐसा ही अभिमत प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क. 07 व 08 केवल अपने हक अर्थात  $\frac{1}{3}$  भाग में से  $\frac{1}{16}$  भाग तक ही विक्रय प्रतिवादी क. 01 को कर सकती थी। प्रतिवादी क. 07 व 08 द्वारा उसके हक की सीमा से अधिक किया गया विक्रय वादी पर बंधनकारी नहीं होगा और न ही उक्त विक्रय से उसके अधिकार प्रभावित होंगे। अतः विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-3) दिनांक 10.06.2009 जहां तक वादी के हक के विपरीत है, शून्य व निष्प्रभावी है। अत

: यह प्रमाणित पाया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 10.06.2009 वादी पर बंधनकारी नहीं है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 02 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

## वाद प्रश्न क. 03, 08 एवं 09 का निराकरण

23 उपर्युक्त तीनों वाद प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

विवादित भूमि वादी के संयुक्त स्वत्व की भूमि है। अतः जब तक प्रतिवादी क. 07 व 08 के हिस्से का विभाजन न हो जाये प्रतिवादी क. 01 उत्तम यह नहीं कह सकता है कि विवादित भूमि का विनिर्दिष्ट भाग उसे प्राप्त होगा। तब ऐसी दशा में जबिक यह निश्चित नहीं है कि प्रतिवादी क. 01 को विक्रय पत्र से प्रतिवादी क. 07 व 08 के हिस्से का कौन सा विनिर्दिष्ट भाग प्राप्त होगा तथा यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादी द्वारा उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही जब तक विभाजन द्वारा यह तय नहीं हो जाता है कि प्रतिवादी क. 07 एवं 08 को विवादित भूमि का कौन सा विनिर्दिष्ट भाग प्राप्त होगा तब तक प्रतिवादी क. 01 क्रय की गयी भूमि का नामांतरण कराने का अधिकारी भी नहीं है। वाद प्रश्न क. 05 की विवेचना अनुसार यह प्रमाणित पाया गया है कि प्रतिवादी क. 01 द्वारा वादी को विवादित भूमें से बेदखल किया गया है। विवादित भूमि वादी के संयुक्त स्वत्व की है जिस पर उसका भले ही भौतिक आधिपत्य न हो परंतु विधिक आधिपत्य माना जायेगा। प्रतिवादी क. 07 एवं 08 विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से कुल  $\frac{1}{6}$  भाग का विक्रय कर सकते हैं। अतः उनके अंश तक की भूमि को छोड़कर वादी शेष विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क. 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 03 "हां" तथा वाद प्रश्न क. 08 एवं 09 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

## वाद प्रश्न क. 04 एवं 07 का निराकरण

25 उपर्युक्त दोनों वाद प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

26 वादी सम्मो (वा.सा.—1) ने वाद पत्र के पैरा क. 15 में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी उत्तम ने क्रय की गयी संपूर्ण भूमि पर विचारण के दौरान अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। वादी सम्मो (वा.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 19 में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसकी मां एवं बहन ने विकय की गयी भूमि पर प्रतिवादी क. 01 को विकय के समय कब्जा दे दिया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि वर्तमान में उत्तमिसंह का कब्जा है। स्वतः में यह बताया है कि उत्तमिसंह ने मारपीट कर कब्जा कर लिया। सकु (वा.सा.—2) ने पैरा क. 11 में यह गलत बताया है कि जब से जमीन उत्तमिसंह ने क्रय की तब से उसका कब्जा है। स्वतः में कहा है कि मारपीट करने के बाद उसका कब्जा है। धामू प्रजापति (वा.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 10 में यह बताया है कि स्व. गोरख की आधी जमीन पर प्रतिवादी उत्तम खेती करता है।

27 प्रतिवादी उत्तम ने अपने प्रतिदावा के पैरा क. 03 में यह अभिवचन किया है कि क्य दिनांक से वह विवादित भूमि के 288 आरे पर काबिज है तथा दिनांक 12.10.2010 को वादी ने अपने रिश्तेदारों के तथा प्रतिवादी क. 01 की कब्जे की भूमि पर से उसे बेदखल करने की धमकी दी थी।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श प्री—11 एवं प्रदर्श पी—12 जो कि सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामा है, के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 14.06.2011 को विवादित भूमि के 0.303 आरे पर प्रतिवादी उत्तम का कब्जा पाया गया। दस्तावेज (प्रदर्श प्री—9) नामांतरण पर प्रारंभिक आपित्त आवेदन जो कि वादी द्वारा तहसीलदार आमला को दिनांक 04.08.2010 को दिया गया। उक्त आवेदन पर वादी द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना लेख किया गया तथा प्रतिवादी के नाम क्रय की गयी भूमि नामांतरित न किये जाने हेतु आवेदन (प्रदर्श प्री—9) पेश किया गया। इस प्रकार उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी उत्तम के द्वारा क्रय की गयी भूमि पर वादी के द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किये जाने के बाद कब्जा किया गया है। चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 मात्र प्रतिवादी क. 07 एवं 08 के अंश तक ही विधिमान्य होगा। अतः ऐसी स्थित में प्रतिवादी क. 01 का अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा।

29 प्रतिवादी के द्वारा उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि पर स्वयं के कब्जे पर वादी द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रतिदावा के माध्यम से अभिवचन किया गया है परंतु ऐसी कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि वादी प्रतिवादी क. 01 के आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहा है तथा ऐसी दशा में जबिक स्वयं प्रतिवादी क. 01 द्वारा विचारण के दौरान वादी को विवादित भूमि से बेकब्जा किया जाना प्रमाणित पाया गया है तब यह नहीं माना जा सकता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी क. 01 के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया। तदानुसार वाद प्रश्न क. 04 "हां" एवं वाद प्रश्न क. 07 "नहीं" के रूप

में निष्कर्षित किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

विवादित भूमि वादी के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है। वाद प्रश्न क. 04 के निष्कर्षानुसार प्रतिवादी क. 01 का क्रय की गयी संपूर्ण भूमि पर आधिपत्य पाया गया है, चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 से वादी का हित प्रभावित नहीं होता है। प्रतिवादी क. 07 व 08 मात्र विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से अपना  $\frac{1}{12} - \frac{1}{12}$  कुल  $\frac{1}{6}$  भाग विक्रय करने के ही अधिकारी है। अतः ऐसी दशा में वादी संपूर्ण विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से  $\frac{1}{6}$  भाग को छोड़कर शेष विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 05 "हाँ" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

# वाद प्रश्न क. 10 का निराकरण

31 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि विवादित भूमि ख.नं. 577/2 रकबा 0.223 हे. एवं ख.नं. 578/1 रकबा 1.406 हे. स्थित ग्राम मोरखा तहसील आमला जिला बैतूल पर प्रतिवादी क. 07, 08 एवं 09 के हिस्से को अग्रक्य करने की अधिकारी है। प्रतिवादी क. 07 एवं 08 उपर्युक्त विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से अपना  $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{12}$  कुल  $\frac{1}{6}$  भाग का ही विक्रय करने की अधिकारी पायी गयी हैं। अतः विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 से वादी के हित प्रभावित नहीं होते हैं और उक्त विक्रय पत्र उस पर बंधनकारी नहीं है। अतः वादी विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से विक्रय किये गये  $\frac{1}{6}$  भाग को छोड़कर शेष भाग का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अपने आधिपत्य में प्रतिवादी क. 01 द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने हेतु प्रतिवादी क. 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की भी अधिकारी है। अतः वादी का दावा अंशतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी क. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा उपर्युक्तानुसार की गयी विवेचना अनुसार अस्वीकार किया जाता है और निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

- 1. प्रतिवादी क. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अस्वीकार किया जाता है।
- 2. वादी विवादित भूमि ख.नं. 577/2 रकबा 0.223 हे. एवं ख. नं. 578/1 रकबा 1.406 हे. स्थित ग्राम मोरखा तहसील आमला जिला बैतूल पर प्रतिवादी क. 07, 08 एवं 09 के हिस्से को अग्रक्य करने की अधिकारी नहीं है।

- 3. प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 वादी पर बंधनकारी नहीं है।
- 4. वादी, विवादित भूमि के  $\frac{1}{3}$  भाग में से प्रतिवादी क. 07 एवं 08 के कुल  $\frac{1}{6}$  भाग को छोड़कर शेष भाग का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है।
- 5. प्रतिवादी क. 01 को विवादित भूमि के क्रय किये गये प्रतिवादी क. 07 एवं 08 के अंश को छोड़कर शेष विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।
- 6. प्रतिवादी क. 01 स्वयं के वाद व्यय के साथ—साथ वादी का भी वाद व्यय वहन करेगा।
- 7. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल